उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2
संख्या–वे0आ0–2– 2088 / दस–35(एम) / 2008
लखनऊः दिनांकः 15 दिसम्बर, 2011

## कार्यालय ज्ञाप

वेतनमानों के संबंध में गठित वेतन समिति, 2008 की समाप्ति के पश्चात् भी वेतन समिति की संस्तुतियों के लागू होने के लम्बित प्रकरण तथा अन्य विभागों द्वारा वित्त विभाग को संदर्भित समस्याओं / विसंगतियों के संबंध में विचार कर संस्तुति देने हेतु एतद्द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1– | मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| 2– | प्रमुख सचिव, कार्मिक | सदस्य |
| 3– | प्रमुख सचिव, वित्त | सदस्य |
| 4– | संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव | सदस्य |
| 5– | विशेष सचिव, वित्त (वेतन आयोग) | सदस्य–सचिव |

2– उक्तानुसार गठित समिति के कार्यक्षेत्र में आने वाले प्रकरणों के संबंध में विचार करने हेतु समय–समय पर उक्त समिति की बैठकें आयोजित की जायेंगी। समिति द्वारा विचारोपरान्त अपनी संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत की जायेंगी।

( अनूप मिश्र )
मुख्य सचिव

संख्या–वे0आ0–2–2088(।) दस–35(एम) / 2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग / एन0आई0सी0, लखनऊ।

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव, वित्त।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 80 सा0 वित्त–23–12–2011–(1404)–1000 प्रतियां–(आफसेट)।